

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 3044
दिनांक 11.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत धारा योजना

3044. श्री अनुराग शर्मा:
श्री मनोज तिवारी:
श्री विजय कुमार दूबे:
श्री संतोष कुमार:
श्री रेबती त्रीपुरा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अमृत धारा योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किये गए समर्थन का ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार ने उक्त योजना को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा तय की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) विभिन्न राज्यों में, विशेष रूप से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विशिष्ट स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां इस योजना को शुरू किया जायेगा?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के पास अमृत धारा नामक ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।